क्रम-संख्या—137

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025

भाद्रपद 4, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1829 / वि0स0 / संसदीय / 73(सं)-2025

लखनऊ, 14 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 13 अगस्त, 2025 से दिनांक 14 अगस्त, 2025 तक अनवरत चले उपवेशन में दिनांक 14 अगस्त, 2025 को पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख—सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में,

(क) उपधारा (1) में शब्द ''पच्चीस हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''पैंतीस हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

''(3) सदस्यों के वेतन में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक 05 वर्ष के पश्चात् आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचक के आधार पर वृद्धि की जायेगी।''

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द ''पचास हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द '' पचहत्तर हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4– मूल अधिनियम की धारा 5 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''चार लाख पच्चीस हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''पाँच लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में,

(एक) शब्द' ''एक लाख रूपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख पचास हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा 2 के प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) में शब्द ''पच्चीस हजार रूपये '' के स्थान पर शब्द'' उसके द्वारा चुनी गयी धनराशि'' रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा 2 के चतुर्थ परन्तुक में शब्द ''पचास हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''(10) इस अध्याय के अधीन किसी सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य को जारी किये गये रेलवे कूपन ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होंगे और प्रत्येक अप्रयुक्त रेलवे कूपन सचिव को ऐसी रीति से अभ्यर्पित कर दिया जायेगा जैसा कि विहित किया जाय तथा ऐसे अभ्यर्पित रेलवे कूपनों के मूल्य के समतुल्य धनराशि ऐसे सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य को नकद दिया जायेगा।''

धारा 15 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 15 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार पाँच सौ रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थातः–

परन्तु यह कि यदि कोई सदस्य, सभा या परिषद की बैठक में यथास्थिति, किसी सत्र के दौरान अथवा उसकी किसी समिति की किसी बैठक में एक दिन या उससे अधिक उपस्थित नहीं होता है, तो वह ऐसी अनुपस्थिति के दिवस के लिए उपधारा (ii) के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ता का हकदार नहीं होगा।

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''(2) प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद और नेता विरोधी दल के पद पर आसीन हो या न हो, उन दिनों के लिए जिसके दौरान वह जन सेवा के कार्यों हेतु दौरा करता है और जिनके लिए उपधारा (i) के अधीन भत्ता या आनुषंगिक प्रभार अनुज्ञेय न हों या नहीं हो सकते हों, दो हजार रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।'';

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः

परन्तु यह कि कोई भी सदस्य जेल में उसके परिरोध की अवधि हेतु, उसके उन्मोचन के दिन के सिवाय उपधारा (1) या (2) के अधीन अनुज्ञेय दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होगा।

(ङ) उपधारा (3) को निकाल दिया जायेगा।

(च) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः—

"(4) उपधारा (1) और (2) में उल्लिखित दैनिक भत्ते में दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचक के आधार पर वृद्धि की जायेगी।"

धारा 15—क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 15—क में शब्द "बीस हजार रूपये", के स्थान पर शब्द " तीस हजार रूपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18—क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 18—क में खण्ड (क) में शब्द "तीस हजार रूपये", के स्थान पर शब्द, "पैंतालीस हजार रूपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः—

"(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिए कार्य किया हो, अपने जीवन—पर्यंत पैंतीस हजार रूपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा;" :

परन्तु यह कि जहाँ किसी व्यक्ति ने पूर्वोक्तानुसार एक कार्यकाल, चाहे उसकी अवधि कितनी भी हो, से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो तो वह एक कार्यकाल के अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए दो हजार रूपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा":

परन्तु यह और कि जहाँ किसी व्यक्ति ने पूर्वोक्तानुसार विधान परिषद के सदस्य के रूप में अपना छः वर्ष का प्रथम कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, वह दो हजार रूपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन का हकदार होगा।

उदाहरणतः सैंतीस हजार रूपये प्रतिमाह की कुल पेंशनः

परन्तु यह और भी कि विधान सभा के विघटन की दशा में विधान सभा के विघटन दिनांक से नयी विधान सभा के प्रथम बैठक के दिनांक तक की अवधि की गणना उस सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिए की जायेगी जो विघटित विधान सभा का अध्यक्ष रहे हों और उक्त अवधि के दौरान अपने पद पर बने रहे हों।

स्पष्टीकरण— जहाँ किसी व्यक्ति ने छः माह और उससे अधिक की अवधि के लिए विधान सभा या परिषद के एक सदस्य के रूप में सेवा की हो और एक वर्ष पूर्ण नहीं किया हो तो ऐसे व्यक्ति की पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।

(2) जहॉ उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के अतिरिक्त उपधारा (1) के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को अनुमन्य पेंशन व अतिरिक्त पेंशन में दिनांक 01 अप्रैल 2025 से प्रारम्भ् होकर प्रत्येक पाँच वर्ष पर आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचक के आधार पर वृद्धि की जायेगी।''

धारा 26–क का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 26–क में–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''(1) यदि किसी आसीन सदस्य की अपनी पदावधि के दौरान मृत्यु हो जाय, तो ऐसे सदस्य का पति/पत्नी या यदि ऐसा व्यक्ति कोई पति/पत्नी छोड़कर न जाय तो उसके अवयस्क बच्चे या अविवाहित पुत्रियाँ मृत्यु के समय मृतक सदस्यो को अन्यथा अनुमन्य पेंशन के बराबर या तीस हजार रूपये की पेंशन, जो भी अधिक हो, ऐसे पति/पत्नी के जीवनकाल तक के लिए या अवयस्क बच्चों के वयस्क, होने तक और पुत्रियों के मामले में उनका विवाह होने तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त् करने के हकदार होंगे।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''(2) यदि किसी भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु हो जाय, तो ऐसे भूतपूर्व सदस्य का पति/पत्नी या यदि ऐसा व्यक्ति कोई पति/पत्नी छोड़कर न जाय तो उसके अवयस्क बच्चे या अविवाहित पुत्रियाँ, ऐसे भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु के समय की पेंशन के बराबर या तीस हजार रूपये की पेंशन, जो भी अधिक हो, ऐसे पति/पत्नी के जीवनकाल तक के लिए या अवयस्क बच्चों के वयस्क होने तक और पुत्रियों के मामले में उनका विवाह होने तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। ''

(ग) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थातः–

''परन्तु यह और कि जहाँ उपधारा (1) या (2) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति पेंशन के हकदार हो जाते हैं तो ऐसे सभी व्यक्ति उक्त पेंशन समान अंशों में आहरित करेंगे।''

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन्1981 की धारा 3 का संशोधन

11–उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 की धारा 3 में :–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''चालीस हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द'' पचास हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''पैंतीस हजार रूपये'' के स्थान पर शब्द ''पैंतालीस हजार रूपये'' रख दिये जायेंगे।

———————

उद्‌देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुख–सुविधाओं तथा मंत्रीगण के वेतन को दीर्घ काल से पुनरीक्षित नहीं किया गया है। मूल्य वृद्धि और जीवन–यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत इसे पुनरीक्षित किये जाने का विनिश्चय किया गया है जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा सार्थक रूप से कर सकें।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खण्ड (पाँच) के अधीन उपबंधित लागत मुद्रास्फीति सूचक के आधार पर अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक पांच वर्ष में संसद सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते तथा पूर्व संसद सदस्यों की पेंशन और अतिरिक्त पेंशन को पुनरीक्षित करने के भारत सरकार के विनिश्चय के दृष्टिगत यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्धँ) अधिनियम, 1981 को संशोधित करके राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ते तथा पूर्व राज्य विधान मण्डल सदस्यों की पेंशन, अतिरिक्त पेंशन को दिनांक 01 अप्रैल 2025 से प्रत्ये्क पाँच वर्ष पर उसी रीति में पुनरीक्षित किया जाय।

तदनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य् और मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन), विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री,
संसदीय कार्य।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन), विधेयक, 2025 के सम्बन्ध में वित्तीय ज्ञापन-पत्र।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन), विधेयक, 2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 3, 4, 5, 10, 15,15–क, 18–क, 24 व 26–क तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध,) अधिनियम, 1981 की धारा 3 को संशोधित किया जाना है जिससे राज्य की संचित निधि पर लगभग रू० 1,05,21,63,000 (एक अरब पाँच करोड़ इक्कीस लाख तिरसठ हजार रूपये मात्र) का अनुमानित वार्षिक आवर्तक व्यय भार अंतर्ग्रस्त है।

सुरेश कुमार खन्ना
मंत्री,
संसदीय कार्य।

———

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख–सुविधा विधि (संशोधन) (विधेयक, 2025 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980

धारा 3(1) (1) सभा के नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिये पच्चीस हजार रुपये प्रतिमास का वेतन पाने का हकदार होगा।

धारा 4 सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में पचास हजार रुपये प्रति मास का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा।

परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा ।

धारा 5 (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, और 01 जून 2015 से चार लाख पच्चीस हजार प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के मूल्य के रेल कूपन प्रति वर्ष विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों या अपने सहवर्तियों के लिए किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जाये, उपयोग में लाये जा सकतें है।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्यों को एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे जो ऐसे भूतपर्व सदस्यों के द्वारा अपने लिये अपने परिवार के सदस्यों अथवा एक साथी के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं और इस उपधारा के अधीन दिये गये रेल कूपनों पर उपधारा (1) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

स्पष्टीकरण–इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिये रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

परन्तु किसी सदस्य को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे,–

(क) समान मूल्य के कूपन या किराये की प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जायेंगे और

(ख) उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु पच्चीस हजार रुपये प्रति माह से अनधिक की धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

परन्तु यह और कि जब कभी भी वातानुकूलित टू–टायर के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा रेल कूपन के मूल्य में आनुपातिक वृद्धि कर सकती है।

परन्तु यह और कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उपधारा (2) के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से किसी भी समय वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिए उसके विकल्प पर समान मूल्य के कूपन दिये जायेंगे।

(2) परन्तु यह भी कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उसको दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु पचास हजार रुपये से अनधिक की वार्षिक धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।

धारा 10 इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और प्रत्येक अप्रयुक्त कूपन सचिव को, ऐसी रीति से लौटा दिया जायगा जो विहित की जाय।

धारा 15 (1) प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो दो हजार रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार की जायगी, अर्थातः—

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के सत्र के दौरान, या उसकी किसी समिति के किन्हीं उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगाः

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी देय होगा यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये, और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच में पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिए भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिये भी देय होगा जो सभा या परिषद के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा या परिषद के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(पांच) जहां खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय, वहां वह, धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 14 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का, इनमें जो भी कम हो. हकदार होगा;

[1][(पांच—क) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के सभापति के रूप में समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में भी लखनऊ आने पर, यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेन्डर मास में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिये अधिक से अधिक दो दिन के लिये देय होगा।

(पांच—ख) उक्त भत्ता धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमिनार या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा।]

(पांच—खख) [2][XXX] (पांच—ग) [2][X X X]

(छ) [3][X X X]

स्पष्टीकरणः— इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी उपवेशन को लगातार समझा जायगा यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या चार से अधिक न हो।

[4][(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिए भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिए दौरा करें और जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुनन्य न हो या न हो सकता हो, [5][एक हजार पांच सौ रूपये] प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिए आठ सौ रूपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के जिनके लिए वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करे।,

धारा 15—क सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति, अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है. [2][पच्चीस हजार रूपये] प्रतिमास की दर पर सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।]

[3][परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिये हकदार होगा।]

धारा 18–क सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या नहीं, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जाएं, निम्नलिखित का हकदार होगा अर्थात–

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली वाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी है. तीस हजार रुपये प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना

(ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो, निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।

धारा 24 (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवन पर्यन्त पच्चीस हजार रूपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगाः

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये दो हजार रूपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगाः

परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिए की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।

स्पष्टीकरण–जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिए कार्य किया हो वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के साथ–साथ उपधारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।

धारा 26–क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की पारिवारिक मृत्यु हो जाए, तो मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या पच्चीस हजार रुपये की पेंशन जो भी अधिक हो की पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, की मृत्यु हो जाय, तो मृत्यु के समय ऐसे पूर्व सदस्य की पेंशन या रुपये पच्चीस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो की पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगाः

परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

धारा 3 (1) मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त चालीस हजार रूपए प्रति मास के वेतन के हकदार होंगे:

परन्तु यह कि मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री, माह अप्रैल, 2020 से माह मार्च, 2021 तक प्रति माह संदेय वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होंगे।

(2) प्रत्येक एव मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त पैंतीस हजार रूपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

———————

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 195/XC-S-1–25-08S-2025
Dated Lucknow, August 26, 2025

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Tatha Mantri Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 13, 2025.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND MINISTERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of Republic of India as follows:-

CHAPTER- I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2025.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1980

Amendment of Section 3 of U.P. Act No. 23 of 1980

2. (1) In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in Section 3,–

(a) in sub-section (1), *for* the words "**twenty five thousand rupees**", the words "**thirty five thousand rupees**" shall be *substituted*;

(b) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:-

"(3) The salary of members shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (*v*) of *Explanation* to Section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No. 43 of 1961)."

3.In Section 4 of the principal Act, *for* the words "**fifty thousand rupees**" the words "**seventy five thousand rupees**" shall be *substituted.* Amendment of Section 4

4.In Section 5 of the principal Act,- Amendment of Section 5

(a) in sub-section (1), *for* the words "**four lakh twenty five thousand rupees**", the words "**five lakh rupees**" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2),–

(i) *for* the words "**one lakh rupees**", the words "**one lakh fifty thousand rupees"** shall be *substituted*;

(ii) in clause (b) of first proviso, *for* the words **"twenty five thousand rupees",** the words "**the amount opted by him**" shall be *substituted*;

(c) in the fourth proviso, *for* the words **"fifty thousand rupees",** the words **"one lakh rupees"** shall be *substituted.*

5.*For* Section 10 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:- Amendment of Section 10

"The railway coupons issued to a member or ex-member under this Chapter shall be valid for such period and every unused coupon shall be surrendered to the Secretary in such manner as may be prescribed and an amount equivalent to the value of such surrendered railway coupons shall be paid in cash to such member or ex-member."

6.In Section 15 of the principal Act,– Amendment of Section 15

(a) in sub-section (1), *for* the words "**two thousand rupees**", the words "**two thousand and five hundred rupees**" shall be *substituted;*

(b) before the Explanation to sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely :-

Provided that if a member does not attend the sitting of Assembly or Council, as the case may be, on a day or more during a session or at any sittings of any Committee thereof, he shall not be entitled for the daily allowance admissible under sub-section (2) for the days of such absence.

(c) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) Every member whether or not he holds any office referred to in clause (i) of Section 2 and the Leader of Opposition shall be entitled to daily allowance at the rate of two thousand rupees per day for the days during which he tours for the works inthe s ervice of the public and for which the allowance or incidental charges under sub-section (1) are not, may not be admissible.";

(d) *after* sub-section (2), the following proviso shall be *inserted*, namely:-

Provided that a member shall not be entitled to the daily allowance admissible under sub-sections (1) or (2) for the period of his confinement in a jail except the day of his discharge.

(e) sub-section (3) shall be *omitted*;

(f) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted,* namely:-

"(4) The daily allowances mentioned in sub-sections (1) and (2) shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (*v*) of *Explanation* to Section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961)."

7.In Section 15-A of the principal Act, *for* the words "**twenty thousand rupees** ", the words "**thirty thousand rupees**" shall be *substituted.* Amendment of Section 15- A

8.In Section 18-A of the principal Act, in clause (a) *for* the words "**thirty thousand rupees**", the words **"forty five thousand rupees**" shall be *substituted.* Amendment of Section 18- A

Amendment of Section 24

9.*For* Section 24 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely;–

"(1) Every person who has served as a member of the Assembly or the Council for any period shall be entitled to a pension at the rate of **thirty five thousand rupees** per month throughout his life:

Provided that where any person who has served as aforesaid for a period exceeding one term of whatever duration, he shall be entitled to an additional pension at the rate of two thousand rupees for every completed year in excess of one term:"

Provided further that where any person who has served as aforesaid for his first full term of six years as a member of Council, he shall be entitled to an additional pension of two thousand rupees *i.e.* a total pension of thirty seven thousand rupees per month:

Provided also that in the event of dissolution of Assembly, the period from the date of dissolution of Assembly, till the date of first meeting of the new Assembly, shall be counted for pension purposes of a member who has been the speaker of the dissolved Assembly and has continued to be in office as such during the said period.

Explanation- Where a person has served as a member of the Assembly or the Council for a term of six months and above and has not completed one year then such person shall for the purposes of calculating the pension, be deemed to have served as member for one year.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (1) is also entitled to any other pension, such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such pension.

(3) The pension and additional pension to every person shall be increased after every five years commencing from 1st April, 2025 on the basis of Cost Inflation Index provided under clause (*v*) of *Explanation* to section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961)."

Amendment of Section 26-A

10.In Section 26-A of the principal Act,–

(a) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(1) If a sitting member dies during the tenure of his or her office, the spouse of such member **or if such person leaves no spouse, his minor children or unmarried daughters** shall be entitled to a family pension equal to pension otherwise admissible to the deceased member at the time of death or a pension of **thirty thousand rupees,** whichever is greater, for the lifetime of such spouse **or till the minor children attain the age of majority and in case of daughters till they get married.";**

(b) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely:-

"(2) If an ex-member dies, the spouse of such ex-member **or if such person leaves no spouse his minor children or unmarried daughters** shall be entitled to a family pension equal to pension of such ex-member at the time of death or a pension of **thirty thousand rupees,** whichever is greater, for the life-time of such spouse **or till the minor children attain the age of majority and in case of daughters till they get married."**

(c) *after* the existing proviso, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided further that where more than one person becomes entitled for pension under sub-sections (1) or (2) all such persons shall draw the said pension in equal shares."

CHAPTER– III

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

Amendment of Section 3 of U.P. Act no 14 of 1981

11. In Section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981,–

(a) in sub-section (1), *for* the words **"forty thousand"** the words **"Fifty thousand"** shall be *substituted*;

(b) in sub-section (2), *for* the words **"thirty five thousand"**, the words **"forty five thousand"** shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The salary, allowances, pension and other amenities admissible to the members of the State Legislature and the salary of Ministers have not been revised for a long time. In view of the price rise and escalation in cost of living, it has been decided to revise the same so that they may serve the cause of their constituency in a meaningful manner.

In view of the decision by Government of India to revise the salary, daily allowance of members of Parliament, pension and additional pension of ex-members of Parliament every five years through notification on the basis of cost inflation indexprovided under clause (*v*) of explanationto Section 48 of the Income-tax Act, 1961 (Act No.43 of 1961), it has been decided to revise the salary, daily allowance of members of State Legislature and pension, additional pension of ex-members of State Legislature every five years in the same manner from 1st April, 2025 by amending the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

The Uttar Pradesh State Legislature Members and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2025 is introduced accordingly.

SURESH KUMAR KHANNA
Mantri,
Sansadiya Karya.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 147 राजपत्र–2025–(446)–599+25+5=629 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

147 RPH (Members & Ministers Amenities Laws) (Sansadiya) 2025 Data 4e